प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2,
तुलसीपुर, बलरामपुर।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन्यजीव प्रभाग
सोहगी बरवा, महराजगंज।

पत्रांक– /रा0न0नि0ख0–2,तु0ब0/ दिनांक 20-8-2020

विषयः– कैम्पियरगंज शाखा के कि0मी0 51.00 से 62.106 के मध्य वनभूमि से आच्छादित भूमि के स्थान पर गैर वानिकी भूमि के हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सरयू नहर परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) के अंतर्गत तहसील–तुलसीपुर जनपद– बलरामपुर में राप्ती मुख्य नहर के किमी0 80.000 से 98.000 के मध्य एवं तहसील–नौतनवां जनपद–महराजगंज में कैम्पियरगंज शाखा के किमी0 51.000 से 62.106 के मध्य नहर निर्माण कार्य इस खण्ड के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।राप्ती मुख्य नहर निर्माण हेतु 6.8226 हे0 भूमि वनभूमि आच्छादित हो रही है जबकि जनपद–महराजगंज में कैम्पियरगंज शाखा के निर्माण में 0.40 हे0 भूमि वनभूमि आच्छादित हो रही है। इस प्रकार सरयू नहर परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) के निर्माण में इस खण्ड के अंतर्गत कुल 7.2826 हे0 भूमि वनभूमि से आच्छादित हो रही है। राप्ती मुख्य नहर के निर्माण हेतु 6.8826 हे0 वनभूमि के समतुल्य गैर वानिकी भूमि ग्राम–पचपेड़वा तहसील–तुलसीपुर में लिया जाना प्रस्तावित है। सरयू नहर परियोजना(राष्ट्रीय परियोजना) के निर्माण हेतु वनभूमि से आच्छादित वनभूमि हेतु गैर वानिकी भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव (पूर्वी) गोण्डा ने अपने पत्र संख्या 58/35–1/दिनांक 08.07.2020 द्वारा प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, बापू भवन, उ0प्र0, लखनऊ को अवगत कराया है कि सरयू नहर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आप के विभाग द्वारा वनभूमि के डायवर्जन हेतु कई अलग–अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है अथवा प्रस्तावित किये जा रहे है। प्रत्येक प्रस्ताव में पड़ने वाले वनभूमि के बदले अलग–अलग स्थानों पर समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। जहां एक ओर अलग–अलग टुकड़ो में (कई प्रस्ताव में 01 हे0 से भी कम) भूमि को अर्जन कर वन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सिचाई विभाग के लिए कठिन कार्य होगा। वहीं वन विभाग को छोटे–छोटे टुकड़ो में वृक्षारोपण करवाना तथा उसका अनुश्रवण किये जाने में कठिनाई होगी। मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्वी) गोण्डा द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि छोटे–छोटे क्षेत्रफल की आच्छादित वनभूमि किसी भी जनपद में एक स्थल पर गैर वानिकी भूमि उपलब्ध करा दिया जाये तो वृक्षारोपण में असुविधा उत्पन्न नही होगी। इस हेतु प्रस्ताव संख्या FP/UP/canal/38823/2019 के लिये ग्राम–पचपेड़वा जनपद– बलरामपुर में

क्रमशः————————2

उपलब्ध करायी जा रही गैर वानिकी भूमि के साथ प्रस्तावित वनभूमि से सटा गाटा 389मि (रक्बा 0.40 हे0) भूमि जनपद–महराजगंज में आच्छादित वनभूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UP/canal/ 44512/2020 के लिये प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	प्रस्तावित क्षे0 (हे0में)	प्रस्ताव
1	पचपेड़वा	395	0.480	(जनपद– बलरामपुर) FP/UP/canal/38823/2019
2		393	4.344	
3		391	1.279	
4		397मि0	0.057	
5		309	0.535	
6		389	0.1876	
कुल योग जनपद–बलरामपुर			6.8826 हे0	
1	पचपेड़वा	389	0.40	(जनपद– महराजगंज) FP/UP/canal/44512/2020
कुल योग जनपद–महराजगंज			0.40 हे0	
योग(महराजगंज+बलरामपुर)			7.2826 हे0	

संलग्नक–: उपरोक्तानुसार।
(भूमि का विवरण, सजरा)

20/08/20

अधिशासी अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2,
तुलसीपुर, बलरामपुर

पत्रांक : /रा0न0नि0ख–2,तु0ब0/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–:

1– अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल–2, बस्ती।
2– जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर को अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल–2 बस्ती के पत्र दिनांक 13.08.2020 के क्रम मे।
3– जिलाधिकारी महोदय, महराजगंज।
4. [illegible]
5– सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2 तुलसीपुर, बलरामपुर को इस निर्देश के साथ कि आप व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।
5

अधिशासी अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2,
तुलसीपुर, बलरामपुर